न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी आर.ए.एस.

अपील नं. 21/2012

1. मालीराम
2. हीरालाल
3. कजोडमल
4. सन्तोष कुमार पुत्रान डालु जाति जाट निवासी ग्राम हाब का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. विजय सिंह (फौत)
   1/1. सरदार सिंह पुत्र विजय सिंह (मृतक)
   1/2. ओमसिंह पुत्र विजय सिह
   1/3. रतन सिंह पुत्र विजय सिंह
   1/4. रामसिंह पुत्र विजय सिंह
   1/5. पुष्पा कंवर पुत्री विजय सिह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ए–163, नेहरू नगर जयपुर।
2. गंगा सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी हाबू का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

5. छोटी देवी पत्नी स्व0 डालूराम
6. सोनी देवी पत्नी स्व0 डालूराम
7. सुखा देवी पुत्री स्व0 डालूराम
8. पतासी देवी पुत्री स्व0 डालूराम
9. श्रवणी देवी पुत्री स्व0 डालूराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाबू का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
10. भगवत सिंह पुत्र स्व0 श्री मोतीराम
11. सूरजमल पुत्र स्व0 श्री मोतीराम
12. जीवणराम पुत्र स्व0 श्री मोतीराम
13. दाखली देवी पत्नी स्व0 अमराराम
14. श्योपाल सिंह पुत्र स्व0 अमराराम
15. हरलाल पुत्र स्व0 अमरराम
16. मुरारी पुत्र स्व0 कजोड़मल
17. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 अमराराम
18. आची देवी पत्नी नानगराम
19. हरफूल सिंह पुत्र नानगराम
20. बाबूलाल पुत्र स्व0 नानगराम
21. संतरा देवी पुत्री स्व0 नानगराम
22. नन्छी देवी पुत्री स्व0 नानगराम
23. गुल्लाराम पुत्र लक्ष्मण
24. ईश्वरलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
25. प्रभूदयाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
26. मुन्नाराम पुत्र स्व0 भूराराम
27. गोरू पुत्र स्व0 दोलाराम
28. बंशी पुत्र स्व0 दोलाराम
29. सागर पुत्र स्व0 दोलाराम
30. बनवारी पुत्र स्व0 दोलारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हाबू का का बास, तहसील चौमू जिला जयपुर।
31. सहाकारी भूमि विकास बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा चौमूं जिला जयपुर।
32. ऑरियन्टल बै।क ऑफ कॉमर्स जरिये प्रबन्धक शाखा किशनपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति अधिवक्तागण
1. श्री ज्ञानेश्वर बाडदार अपीलार्थी
2. श्री आत्माराम शर्मा रेस्पो0 सं. 1
3. श्री प्रमोद शर्मा रेस्पो0 सं0 5 लगायत 9 व 26

दिनांक 23.10.2017

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223, के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नं. 83 ल. 87, 89/251, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 132 ल. 138 व 82 कुल किता 20 कुल रकबा 15.50 है0 वाके ग्राम हाबू का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि शामलाती कृषि भूमि में जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 ल. 31 ने बाहमी बंटवारा कर आराजीयात् पर अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर कदीमी से काश्त करते चले आ रहे है। वादी श्री विजय सिंह ने खसरा नम्बर 92 व खसरा नं. 138 पर तनहा अपना कब्जा बताते हुये अपने हिस्से अनुसार बंटवारा चाहा गया । अपीलान्ट कजोड़ ने भी एक अन्य वाद बाबत् घोषणा व विभाजन का इसी वादग्रस्त भूमि हेतु रेस्पोडेन्ट व अन्य अपीलान्ट के विरूद्ध दायर किया। राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक सहखातेदार का अलग'–अलग हिस्सा दर्ज है जो प्रस्तुत दोनो ही दावो से स्पष्ट है अपीलान्ट कजोड के पिता डालू का 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 3/4 रहा है । इस प्रकार वादी कजोड ने दर्ज हिस्से अनुसर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करने की प्रार्थना की गई। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दोनो ही दावों को कन्सोलीडेटेड कर दोनो दावों को इकजाई कर निर्णय करने के आदेश प्रदान किये। सुयोग्य न्यायालय के समक्ष वादी विजय सिंह द्वारा जो तन्हा कब्जा खसरा नं. 92 व 138 में बताया उसको अपीलान्ट्स व अन्य रेस्पोडेन्ट ने इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट एक के आवेदन आदेश 15 नियम 1 जाप्ता दीवानी को स्वीकार करते हुये दोनो दावों में प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.07.2010 को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में हिस्सेदारों का विभाजन करने का आदेश प्रदान करते हुये तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये। तहसीलदार चौमूं द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर हाल अपीलान्ट कजोड ने अधिनस्थ न्यायालय में कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की तथा साथ ही एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व 151 सीपीसी डालू के वारिसान का एवं मान्नू पुत्र भूरा का विभाजन अलग से 1/5–1/5 हिस्से अनुसार करने की प्रार्थना की प्ररन्तु सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.12.2010 को अपीलार्थी के कुर्रेजात पर प्राथमिक आपत्ति एवं संशोधन के आवेदन को निरस्त करते हुये वादी विजय सिह व गंगा सिंह को खसरा नं. 92 व 138 का रकबा अन्य रकबों के साथ देते हुये प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जो विधि अनुरूप गलत है तथा शेष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्सेदारों का हिस्सा भी शामलात में ही रखते हुये जो विभाजन किया है वह अवैधानिक है। इस तरह अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2010 से पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 की गई रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायायल की पत्रावली तलब होने पर बहस उयभयपक्ष सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को विस्तार से दोहराते हुये कथन किया कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलान्ट आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो सहखातेदार थे उनके हिस्सों की बाटबन्धी प्रत्येक के हिस्से अनुसार न कर खाते में दर्ज हिस्से अनुसार जो हिस्सा रखा है वह सरासर अवैधानिक है। विभाजन के वाद के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा अलग–अलग विभाजित कर उसका पर्चा लगान कायम किया जावे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को नजर अन्दाज कर जो निर्णय पारित किया है वह कानूनन त्रुटिपूर्ण हैं। अपीलार्थी ने सुयोग्य न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की थी कि कुर्रेजात पटवारी द्वारा तैयार की गई जबकि तहसीलदार मौंके पर गया नहीं । कुर्रेजात रिपोर्ट से पूर्व समस्त सहखातेदारान् को सूचित नहीं किया गया एवं तहसीलदार चौमूं ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये है वह गलत है । अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। अपीलार्थी ने अपने वाद एवं विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी के खसरा नं. 92 व 138 पर तन्हा कब्जा होने की बात से स्पष्ट इन्कार किया था लेकिन सुयोग्य न्यायालय ने इस तथ्यों को भी नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। सुयोग्य न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी कजोड़ ने जो कुर्रेजात के लिए आपत्ति प्रस्तुत की थी उसमें स्पष्ट किया था कि अपीलान्ट का खसरा नं. 92 के 2 बीघा अर्थात 0.50 है0 भूमि कब्जा काश्त है जिस पर अपीलान्ट की सरसो की फसल खडी है जबकि अपीलान्ट का 0.10 है0 भूमि पर ही कब्जा बताया वह सरासर गलत है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज किया है। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह तहसील में ही अवैधानिक रूप में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें विभाजन के नियम 18 से 20 की पालना नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रतिकूल होने के कारण सरसरी तौर पर ही निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विचारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्धान अधिवक्ता ने बहस का जवाब देते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादी कजोड़मल व विजय सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। सुयोग्य न्यायालय ने दिनांक 17.12.2003 को दोनो दावों को कन्सोलिडेटेड कर दिनांक 16.07.2010 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.12.2010 को अंतिम डिक्री जारी कर दी। सुयोग्य न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नं. 92/1 व 138 में हम काबिज है, जिसका कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खण्डन नहीं किया गया है। सुयोग्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावें में यह अनुतोष चाहा गया कि वाद के मद संख्या–1 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या–5 लगायत 12 व 29 के 2/5 हिस्से का पर्चा लगान पृथक से कायम किया जावे । सुयोग्य न्यायालय ने इसी अनुसार दावा डिक्री किया है। दिनांक 16.07.2010 को प्राथमिक डिक्री होने से पूर्व जवाब दावा दिया जाता है। प्राथमि डिक्री को चुनौति देनी चाहिए थी। धारा 97 सीपीसी मे प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री को चुनौति दिये बगैर उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अपील का मद नं. 5 खसरा नं. 92 में 1/5 हिस्से अनुसार 10 एयर ही बनता है जो दिया गया है, इसलिए आपत्ति खारिज योग्य हैं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में क्या कमी रह गई है। इस संबंध में कोई कथन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–5 लगायत 9 से 20 जनवरी 2009 को ही हकत्याग करवा लिया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में खाता विभाजन व लगान का विभाजन करना होता है जो कि सुयोग्य न्यायालय द्वारा किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजो का बगौर अवलोकन किया गया। विचारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा विभाजन कजोडमल व विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायहित में प्रस्तुत दोनो दावो को दिनांक 17.12.2003 को कन्सोलिडेटेड कर दिनांक 16.07.2010 को दावा प्राथमिक रूप से डिक्री फरमा दिया। अपीलान्ट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर ही दिनांक 21.12.2010 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत. दावे में अपीलान्ट ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया की खसरा नं. 92/1 व 138 पर हम काबिज है दावे में अनुतोष चाहा गया कि वाद के मद नं. 1 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या–5 लगायत 12 व 29 के 2/5 हिस्से का पर्चा लगान पृथक से कायम किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री किया है। अपीलान्ट्स ने दिनांक 16.07.2010 की प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। सीपीसी की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री को चुनौति दिये बिना अंतिम डिक्री पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में पारित डिक्री में क्या त्रुटि रह गई है। विभाजन के वाद में धारा 53 के तहत खाता विभाजन व लगान का विभाजन करना होता है। विचारण न्यायालय के निर्णय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के उद्वेश्यों की पूर्ति की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने से अपील अपीलार्थी सारहीन पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 23.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर